न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 27/ 16 वर्ष 2016

जीसीएम संख्या :–2016/00341

बउनवानीः–1. अब्दुल बहाव एडवोकेट पुत्र श्री काजी अब्दुल हफीज मुसलमान निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. अब्दुल कदीर पुत्र इस्माईल काजी जाति मुसलमान निवासी चौथ का बरवाडा
2. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच/सचिव,ग्रा.प.चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्व पत्रावली संख्या 1478 दिनांक 26.9.2014 मे पारित प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 20.10.2016 द्वारा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा, पंचायत समिति चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री अब्दुल बहाव — वकील प्रार्थी

2. श्री रंगलाल गुर्जर — वकील अप्रार्थी–1

3. श्री संदीप शर्मा — वकील अप्रार्थी–2

–: निर्णय :– दिनांक 04.01.2022

निगरानीकार द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के द्वारा पत्रावली संख्या 1478 दिनांक 26.9.2014 मे पारित प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 20.10.2016 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित पटटा अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान वकील निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर निगरानी खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा ने आदेश जैर निगरानी पारित करने से पूर्व न तो पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर कोई गोर किया और ना ही प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 निहायत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने एक गलत एवं मौके की स्थिति के विपरीत जाकर एक नक्शा बनाकर गटर टेंक की इजाजत चाहने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.9.2014 को ग्राम पंचायत मे प्रस्तुत किया ओर ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 के पास कोई मालिकाना हक से संबंधित कोई सबूत नही होते हुए भी प्रार्थी निगरानीकर्ता व अमीनुद्दीन के मकानो के बीच अवैधानिक रूप से गटर टेंक बनाने की इजाजत प्रदान कर दी जबकि प्रार्थी निगरानीकर्ता व अमीनुद्दीन ने ग्राम पंचायत मे नियत अवधि में आपत्ति प्रस्तुत की थी कि जिस जगह अप्रार्थी संख्या 1 गटर टेंक की इजाजत चाहता है व[illegible] है तथा वहॉ से उसका मकान लगभग 50–60 फीट दूरी पर है परन्तु ग्रा[illegible]चा[illegible] ने प्रस्तुत आपत्तियों पर कोई गोर नही कर प्रार्थी को बिना सुनवा[illegible] तरीके से दिनांक 11.3.2015 को निर्णय पारित कर दिया [illegible] एक निगरानी संख्[illegible]/2015 न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जाने पर न्यायालय हाज[illegible]द्वारा दिनांक 23.2.20[illegible] निर्णय पारित कर यह आदेश पारित किया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:03:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय 11.3.2015 को निरस्त कर आदेश पारित किया कि उभय पक्षों की उपस्थिति में विवादित स्थल का मौका देखा जावे ओर उनकी ओर से प्रस्तुत आपत्तियो व स्वामित्व के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से विधिअनुरूप निर्णय पारित किया जावे। किन्तु उक्त निर्णय की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी की उपस्थिति में कोई मौका नही देखा ओर ना ही सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों की अवहेलना की है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह विरोधाभाषी है जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि ग्राम पंचायत मे जो नक्शा पेश हुआ है उसमे किस जगह पर इजाजत दी है स्पष्ट अंकन नही है तथा निर्णय मे कही पर भी खुलासा नही किया है कि वास्तविक रूप से किस जगह इजाजत दी गयी है इसलिए निर्णय ग्राम पंचायत निरस्तनीय है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 के छोटे भाई शहजाद उर्फ पिन्टू का खास साला अजीम ग्राम पंचायत में वार्ड नम्बर पांच से वर्तमान मे वार्ड पंच है जिसने अपने प्रभाव से प्रार्थी से द्वेषता रखने के कारण आदेश जैर निगरानी पारित करवाया है। प्रार्थी निगरानीकर्ता ने अप्रार्थी संख्या 1 के भाई सगीर के विरूद्व अतिक्रमण कर बनाई खुली कच्ची लेटरीन हटवाने हेतु दिनांक 10.9.2014 को ऑन लाईन शिकायत दर्ज करवायी लेकिन ग्राम पंचायत ने उसकी कच्ची लेटरीन को नही हटवाई और ग्राम पंचायत ने विपक्षी नम्बर 1 द्वारा गटर टेंक की इजाजत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाकर निर्णय जैर बहस पारित करवा लिया जबकि ग्राम पंचायत को यह चाहिए था कि वह आबादी भूमि के बने हुए नियमों के मुताबिक कार्यवाही करे। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत के द्वारा पक्षपात पूर्वक दिये गये निर्णय की पुष्टि इस बात से होती है कि अप्रार्थी संख्या 1 से उसके समर्थन के दस्तावेज प्राप्त कर गुप्त रूप से निर्णय पारित कर उसकी सूचना अप्रार्थी को भिजवा दी जबकि प्रार्थी को न तो किसी प्रकार का नोटिस दिया और ना ही साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया ओर ना ही निर्णय की कोई सूचना दी गयी है। प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड डाक से दस्तावेज ग्राम पंचायत मे भिजवाये गये थे जिनको रिकार्ड पर नही लिया है। इस प्रकार निर्णय की जानकारी से निगरानी अन्दर मयाद प्रस्तुत की गयी है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया।

विद्वान वकील अप्रार्थी–1 एवं 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है क्योकि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 23.2.2016 की पालना में दिनांक 20.10.2016 को पत्रावली संख्या 1478 पुनः नम्बर पर ली जाकर ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 26.9.2014 एवं 11.3.2015 पर विचार हेतु कोरम के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उभयपक्षों को नोटिस क्रमांक 309–311 दिनांक 11.8.2016 जारी कर दिनांक 16.8.2016 को विवादित स्थल का मौका देखने हेतु सूचित करते हुए मौके पर उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया। उक्त नोटिस स्वंय प्रार्थी द्वारा दिन[illegible]2016 को प्राप्त किया जिसका जवाब दिनांक 16.8.2016 को ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 16.8.2016 को अन्य कार्य में व्यवस्थता के कारण मौका नही देखा गया इसलिए आगामी तारीख 6.9.2016 नियत की गयी। हमारा खुला शौचालय है जिसके लिए पक्का गटर टेंक बनवाना चाहते है जिसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा अपने निर्णय में पूर्व पश्चिमी 14 तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:03:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उत्तर दक्षिण 12 फीट मे से प्रार्थी को पूर्व पश्चिमी 8 तथा उत्तर दक्षिण 6 फीट भूमि पर पक्का टेंक निर्माण करने की स्वीकृति दी गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय 23.2.2016 मे दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए उभय पक्षों को साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही विधिवत सम्पादित करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में गटर टेंक निर्माण हेतु स्वीकृति दी गयी जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा निवेदन किया।

विद्वान वकील उभय पक्षों द्वारा दौराने बहस किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.10.2016 में पूर्व पश्चिमी 14 तथा उत्तर दक्षिण 12 फीट मे से प्रार्थी एवं अ0 अजीज व अमिनुद्दीन काजी के मकान से 3–3 फीट जगह छोडते हुए अप्रार्थी को पूर्व पश्चिमी 8 तथा उत्तर दक्षिण 6 फीट भूमि पर पक्का शौचालय टेंक निर्माण करने की स्वीकृति दी गयी है किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा मे शौचालय टैंक की साईज पूर्व पश्चिमी 11 तथा उत्तर दक्षिण 10 फीट दर्शायी गयी है। जिससे कारण ग्राम पंचायत का निर्णय विरोधाभाषी प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत/रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित दस्तावेजात का भी अपने निर्णय मे जिक्र नही किया है जिसके कारण प्रार्थी को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना प्रतीत नही होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि विवादित स्थान का विधिवत मौका दिखवाया जाकर एवं पुनः आपत्ति नोटिस जारी किया जाकर उभय पक्षों को साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने एवं सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभय पक्ष सुनवायी हेतु दिनांक 22.1.2022 को ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के समक्ष उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:03:05 IST
Reason: SelfAttested